कार्यालयः–जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा (राज.)

क्रमांकः स्था/2019/ 707-773 दिनांक 8-1-19

विज्ञप्ति

कोटा न्यायक्षेत्र के नवसृजित पाँच पोक्सो न्यायालय एवं एक कॉमर्शियल न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी/आई/ए–4(i)(a)55/16/159 एवं 163 दिनांक 08.01.2019 के क्रम में प्रत्येक न्यायालय हेतु तीन–तीन सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.07.2019 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिये ली जानी है।

शर्तेः–

01 उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट–क के अनुसार होगी।

02 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

03 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्याधीन होगी।

04 कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

05 ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जावेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजथान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त सेवाएं कोटा न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों पर रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 19.01.2019 को सायं 5:00 बजे तक इस कार्यालय मे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैः–

01 विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
02 अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रति
03 पीपीओ की प्रति
04 विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है।)

8/1/19

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांकः– स्था/2019/ 707-773 दिनांक 8-1-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन)महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश...
4. जिला कलक्टर, कोटा
5. कोटा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बार्ड पर चस्पा हेतु सम्बन्धित न्यायालय..............
....
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, कोटा को अखबार में साया हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर अदालत हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बार्ड, न्यायालय हाजा।

8/1/19

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,